राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3290/2023

1. हरीश कुमार
2. अजय कुमार
3. सुरेश चौधरी
4. किशन कुमार

–अपीलार्थीगण

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.12.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिगविजय सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 07.10.2022 (अनुलग्नक–2) से अपीलार्थीगण का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें अपीलार्थी सं. 1 हरीश कुमार एवं अपीलार्थी संख्या–2 अजय कुमार का स्थानांतरण उप वन संरक्षक, वन्य जीव, मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा से उप वन सरंक्षक, सीकर, तथा अपीलार्थी संख्या–3 का स्थानांतरण उप वन संरक्षक, वन्य जीव, मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा से उप वन संरक्षक, जयपुर एवं अपीलार्थी संख्या–4 का स्थानांतरण रेंज गागरोन, उप वन संरक्षक, वन्य जीव, मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा से उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर किया गया था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थीगण को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीगण ने अक्टूबर 2022 को उक्त आदेश की पालना कराने हेतु अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, उसके बाद भी अपीलार्थीगण को कार्यमुक्त नहीं किया गया है और न ही अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया है।
2. हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के

नियम 9 के अंतर्गत जो अपील प्रस्तुत करने की समयावधि निर्धारित की गई है, उसमें आलोच्य आदेश पारित किये जाने के 6 माह में अपील प्रस्तुत करनी होती है और यदि अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया है, तो उस स्थिति में भी नियत समयावधि 1 वर्ष में अपील प्रस्तुत करनी होती है। वर्तमान अपील आलोच्य आदेश पारित किये जाने व अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के एक वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। ऐसे में यह अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने लिए निर्धारित परिसीमा से परे है। अतः यह अपील अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)